



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24122020-223929
CG-DL-E-24122020-223929

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 369]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 24, 2020/पौष 3, 1942

No. 369]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 24, 2020/PAUSHA 3, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर 2020

मामला सं. ओ.आई. (सीवीडी) 07/2020

विषय: मलेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एल्युमीनियम प्राइमरी फाउंडरी एलॉय इंगोट" के आयातों के संबंध में प्रति संतुलनकारी शुल्क/पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

फा. सं. 6/43/2020-डीजीटीआर.—

- वेदांता लिमिटेड और भारत एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (जिसे इसके पश्चात् "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे इसके पश्चात् "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडी दी गई वस्तुओं पर प्रति संतुलनकारी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके पश्चात् "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से मलेशिया (जिसे इसके पश्चात् "संबंध देश" के भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एल्युमीनियम प्राइमरी फाउंडरी एलॉय इंगोट" (जिसे इसके पश्चात् "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" भी कहा गया है) के सब्सिडी दिए गए आयातों की सब्सिडीरोधी जांच की शुरुआत करने की मांग करते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसके पश्चात् "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष संयुक्त रूप से आवेदन दायर किया है।

2. आवेदकों ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देश से सब्सिडी दिए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सब्सिडी दी गई संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर प्रति-संतुलनकारी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "एल्युमीनियम प्राइमरी फाउंडरी एलॉय इंगोट" हैं जिसे प्राइमरी एलॉय इंगोट्स, प्राइमरी फाउंडरी एलॉय इंगोट्स, एल्युमीनियम एलाय इंगोट्स आदि के रूप में भी जाना जाता है। एल्युमीनियम प्राइमरी फाउंडरी एलॉय इंगोट्स का उत्पादन गलने वाली एल्युमीनियम से प्राप्त एल्युमीनियम हॉट मेटल अथवा फिर से गलाने वाली प्राथमिक एल्युमीनियम इंगोट्स को अपेक्षित एलाय करने वाले तत्वों के साथ ढालकर किया जाता है। गलाई गई एल्युमीनियम की भट्टी को बनाए रखने के लिए एलॉय करने वाले अपेक्षित तत्वों के साथ मिलाया जाता है। अलग-अलग एलॉय करने वाले तत्वों को इच्छित एलॉय मात्रा प्राप्त करने के लिए इस मिश्रण में मिलाया जाता है। परिणामी गलाए हुए मिश्रण को फिर स्मेल्टर में ऑन-साईट कास्टिंग हाउस में ढाला जाता है। खपत के बाद स्क्रेप के माध्यम से उत्पादित एलॉय किया हुआ एल्युमीनियम इंगोट्स विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर है। विचाराधीन उत्पाद का प्राथमिक रूप से उपयोग ऑटोमोबाइल और स्टील के अनुप्रयोगों में किया जाता है।
4. विचाराधीन उत्पाद का वर्गीकरण सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के सीमाशुल्क उप-शीर्ष सं. 76012010 के अंतर्गत अध्याय 76 में किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह इस जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

ख. समान वस्तु

5. आवेदक ने यह दावा किया है कि संबद्ध देशों से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद वस्तुओं की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, निर्माण की प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देश, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा प्रशुल्क वर्गीकरण जैसे आवश्यक उत्पाद विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग करते हैं। इसके अलावा, आवेदक ने दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इस कारण से उन्हें इस नियमावली के अंतर्गत समान वस्तु के रूप में माना जाना चाहिए। इस कारण से, वर्तमान जांच के उद्देश्य से, भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं का 'समान वस्तु' के रूप में माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग

6. यह आवेदन वेदाता लिमिटेड और भारत एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड के द्वारा संयुक्त रूप से दायर किया गया है। आवेदकों ने संबद्ध वस्तुओं का न तो आयात किया है और न ही वे संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से संबंधित हैं।
7. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी यह निर्धारण करते हैं कि भारतीय उत्पादन में आवेदक का बहुत बड़ा हिस्सा है और घरेलू उद्योग द्वारा इस नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 6(3) में निहित प्रावधानों के संदर्भ में आवेदन किया गया है।

घ. कथित सब्सिडी दिए जाने का आधार

8. आवेदकों ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों को उन प्रांतों और जिलों जिसमें उत्पादक/निर्यातक स्थित हैं, सहित संबद्ध देश की सरकार और अन्य सार्वजनिक निकायों के द्वारा विभिन्न स्तरों पर दी गई कार्यवाही योग्य सब्सिडी से लाभ प्राप्त हुआ है। आवेदकों ने संगत कानूनों, नियमावली, विनियमों, सरकारी एजेंसियों और सार्वजनिक निकायों की अन्य अधिसूचनाओं और जांच करने वाले अन्य प्राधिकारियों द्वारा किया गया निर्धारण तथा सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध सूचना पर विश्वास किया है और अत्यधिक प्रति-

संतुलनकारणीय सब्सिडी के होने का निष्कर्ष निकाला है। घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित सब्सिडी/कार्यक्रमों का आरोप लगाया गया है:

- i. कार्यक्रम सं. 1: बाजार विकास अनुदान
- ii. कार्यक्रम सं. 2: व्यापार/उद्योग उत्कृष्टता अवार्ड
- iii. कार्यक्रम सं. 3: निर्यात क्रेडिट वित्त पोषण
- iv. कार्यक्रम सं. 4: क्रेता क्रेडिट गारंटी
- v. कार्यक्रम सं. 5: पायानियर दर्जा
- vi. कार्यक्रम सं. 6: निवेश कर नीतियां
- vii. कार्यक्रम सं. 7: पुनः निवेश भत्ता
- viii. कार्यक्रम सं. 8: बढ़ाया गया पूंजी भत्ता
- ix. कार्यक्रम सं. 9: सामूहिक राहत
- x. कार्यक्रम सं. 10: प्रशुल्क से संबंधित प्रोत्साहन राशि
- xi. कार्यक्रम सं. 11: भत्ता औद्योगिक भवन/औद्योगिक भवन भत्ता(आईबीए)
- xii. कार्यक्रम सं. 12: संयंत्र और मशीनरी के लिए भत्ता
- xiii. कार्यक्रम सं. 13: निर्यात के संवर्धन के लिए दोहरी कटौती
- xiv. कार्यक्रम सं. 14: ईस्ट कोस्ट आर्थिक कॉरिडोर में निर्माण और निर्माण से संबंधित सेवाओं के लिए प्रोत्साहन राशि।
- xv. कार्यक्रम सं. 15: आयात शुल्क, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क पर ड्रा बैक।
- xvi. कार्यक्रम सं. 16: आउट सोर्सिंग निर्माण क्रियाकलापों के लिए आयात शुल्क और बिक्री-कर से छूट।
- xvii. कार्यक्रम सं. 17: मशीनरी और उपकरण पर आयात शुल्क और बिक्री-कर से छूट
- xviii. कार्यक्रम सं. 18: कच्चे माल/संघटकों पर आयात शुल्क से छूट
- xix. कार्यक्रम सं. 19: निर्यात कार्गो के संवर्धन के लिए दोहरी कटौती
- xx. कार्यक्रम सं. 20: बढ़ हुए निर्यात के लिए भत्ता
- xxi. कार्यक्रम सं. 21: मुक्त व्यापार क्षेत्र में निर्यातकों के लिए कर-छूट
- xxii. कार्यक्रम सं. 22: भूमि एवं बिजली के लिए पर्याप्त से कम पारितोषिक
- xxiii. कार्यक्रम सं. 23: मलेशिया के ब्रांड के संवर्धन के लिए दोहरी कटौती
- xxiv. कार्यक्रम सं. 24: लघु और मध्यम उपक्रम के लिए प्रोत्साहन राशि
- xxv. कार्यक्रम सं. 25: अनुसंधान और विकास निधि
- xxvi. कार्यक्रम सं. 25(क): अनुसंधान और विकास निधि का व्यापारीकरण(सीआरडीएफ1)
- xxvii. कार्यक्रम सं. 25(ख): अनुसंधान और विकास निधि का व्यापारीकरण(सीआरडीएफ2)
- xxviii. कार्यक्रम सं. 25(ग): अनुसंधान और विकास निधि का व्यापारीकरण(सीआरडीएफ3)
- xxix. कार्यक्रम सं. 26: इन-हाउस आरएंड डी के लिए कर-प्रोत्साहन राशि
- xxx. कार्यक्रम सं. 27: आर एंड डी के लिए दोहरी कटौती

xxxi. कार्यक्रम सं. 28: लघु और मध्यम उपक्रम के लिए साफ्ट लोन

xxxii. कार्यक्रम सं. 29: निवेश कर-भत्ता

ड. परामर्श

9. विश्व व्यापार संगठन के अनुच्छेद 13.1 के प्रावधानों के अनुसार जांच की शुरुआत के पहले मलेशिया की सरकार के साथ दिनांक 29 सितंबर, 2020 को वीडिया कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से परामर्श किया गया था। इस परामर्श के प्रत्युत्तर में, मलेशिया की सरकार ने कुछ कार्यक्रमों के होने, इन कार्यक्रमों के द्वारा लाभ नहीं उठाने और कुछ योजनाओं में मामूली सब्सिडी दिए जाने से इंकार किया। हालांकि, मलेशिया की सरकार ने ऊपर में उल्लिखित सभी कार्यक्रमों के मौजूद होने से इंकार करते हुए प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। इस कारण से, कथित कार्यक्रमों के होने और प्रति-संतुलनकारणीय सब्सिडी की मात्रा निर्धारित करने की जांच संगत नियमावली के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

च. क्षति और कारणात्मक संबंध

10. आवेदकों द्वारा दी गई सूचना पर विचार घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए किया गया है। आवेदकों ने कथित सब्सिडी दिए जाने जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग पर कीमत में कटौती, कीमत ह्रास और न्यूनीकरण का प्रभाव पड़ा है, यद्यपि आयात की मात्रा में गिरावट आई है, के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन पर क्षमता के उपयोग, मालसूची, लाभ, नकद प्रवाह और लगाई गई पूंजी पर लाभ के संबंध में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि तथा नकद हानि हो रही है। प्रति-संतुलकारी शुल्क जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देश से सब्सिडी दी गई निर्यातों के द्वारा घरेलू उद्योग को पहुंचाई जा रही वास्तविक क्षति का पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य है।

छ. प्रति-संतुलकारी जांच की शुरुआत

11. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत् प्रमाणिक लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश के मूल के और वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं को सब्सिडी दिए जाने, और इस प्रकार से कथित सब्सिडी दिए जाने और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध तथा घरेलू उद्योग को क्षति को प्रमाणित करते हुए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर तथा इस नियमावली के नियम 6 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में कथित सब्सिडी के मौजूद होने, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा प्रति संतुलनकारी शुल्क जिसे अगर लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा, की राशि की सिफारिश करने के लिए जांच की शुरुआत करते हैं।

ज. संबद्ध देश

12. वर्तमान जांच के लिए संबद्ध देश मलेशिया है।

झ. जांच की अवधि (पीओआई)

13. वर्तमान जांच में जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2019 से सितंबर, 2020 (18 माह) की है। हालांकि जांच की क्षति अवधि में 2016-17, 2017-18, 2018-19 की अवधि और जांच की अवधि शामिल है।

य. प्रक्रिया

14. नियमावली के नियम 7 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

15. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg11-dgtr@gov.in तथा dd15-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए।

16. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय

सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

17. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध भी प्रस्तुत कर सकता है।
18. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय पाठ प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

घ. समय-सीमा

19. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पत्तों adg11-dgtr@gov.in तथा dd15-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
20. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है:

ङ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

21. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली का उत्तर सहित कोई अनुरोध करने वाले पक्षकारों (उसके साथ संलग्न परिशिष्टों/अनुबंधों सहित) से यह अपेक्षित है कि वे यदि "गोपनीयता" का दावा उसके किसी हिस्से के संबंध में किया जाता है तब दो अलग-अलग सेट में उसे प्रस्तुत करें:
 - i. एक सेट जिसे गोपनीय के रूप में चिन्हित किया गया हो (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, विषय-सूची आदि सहित); और
 - ii. दूसरा सेट जिसे अगोपनीय के रूप में चिन्हित किया गया हो (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, विषय-सूची आदि सहित)।
22. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों पाठों की साफ्ट प्रतियाँ प्रत्येक के चार (4) सेट में हार्ड कॉपी के साथ प्रस्तुत किया जाना भी अपेक्षित होगा।
23. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
24. अगोपनीय पाठ को उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
25. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त

सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

26. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
27. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।
- ढ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**
28. नियमावली के नियम 7 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ रखे गए हैं।
- ण. असहयोग**
29. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

बी. बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December 2020

(Case No. O.I. (CVD) 07/2020)

Subject: Initiation of Countervailing Duty/Anti-Subsidy investigation concerning imports of “Aluminum Primary Foundry Alloy Ingot” originating in or exported from Malaysia.

F. No. 6/43/2020-DGTR.—

1. Vedanta Limited and Bharat Aluminium Company Limited (hereinafter also referred to as the “Applicants”) have jointly filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”), on behalf of domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and determination of injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules”) seeking initiation of anti-subsidy investigation of subsidized imports of “Aluminum Primary Foundry Alloy Ingot” (hereinafter also referred to as “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”), originating in or exported from Malaysia (hereinafter also referred to as the “subject country”).
2. The applicants have alleged that subsidized imports from the subject country are causing material injury to the Domestic Industry to and have requested for imposition of Countervailing duty on imports of subsidized subject goods, originating in or exported from the subject country.

A. Product under consideration

3. The product under consideration in the present investigation is “Aluminum Primary Foundry Alloy Ingot” also known as Primary alloy ingots, Primary Foundry alloy ingots, Aluminium Alloy Ingots etc. Aluminum Primary Foundry Alloy Ingot is produced by casting aluminium hot metal obtained from smelting alumina or re-melting primary aluminium ingot, along with required alloying elements. The molten aluminium is blended with the required alloying elements in holding furnaces. Individual alloying elements are added to the blend to achieve the desired alloy content. The resulting molten blend is then casted at the smelter's on-site casting house. Alloyed Aluminium ingot produced through post-consumption scrap is beyond the scope of the product under consideration. The product under consideration is primarily used for automobile and steel applications.
4. The product under consideration is classified under Chapter 76 under customs subheading no 76012010 of the Customs Tariff Act, 1975. The Customs classification is only indicative and not binding on the scope of this investigation.

B. Like Article

5. The Applicant has claimed that there is no known difference between the subject goods exported from the subject countries and that produced by the domestic industry. Subject goods produced by the domestic industry and PUC imported from subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers use the two interchangeably. The Applicant has further claimed that the two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as like article under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the Applicant in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

C. Domestic Industry

6. The Application has been jointly filed by Vedanta Limited and Bharat Aluminium Company Limited. The Applicants have neither imported the subject goods nor are related to any exporter or producer of subject goods in the subject country.
7. On the basis of information available on record, the Authority determines that the Applicant accounts for a major proportion in the Indian production and the application has been made by the domestic industry in terms of the provisions contained in Rule 2 (b) and Rule 6(3) of the Rules.

D. Basis of Alleged Subsidization

8. The Applicants have alleged that the producers/exporters of the subject goods in the subject country have benefitted from actionable subsidies provided at various levels by the Government of the subject country, including the provinces and districts in which producers/exporters are located, and other Public bodies. The applicants have relied upon relevant laws, rules, regulations, other notifications of the Government agencies and public bodies, and determination made by other investigating Authorities, as information available in the public domain and have concluded existence of significant countervailable subsidies. The following subsidies/programs have been alleged by the domestic industry:
 - i. Program No. 1: The Market Development Grant
 - ii. Program No. 2: Business/ Industry Excellence Award
 - iii. Program No. 3: Export Credit Refinancing
 - iv. Program No 4: Buyer Credit Guarantee
 - v. Program No. 5: Pioneer Status
 - vi. Program No. 6: Investment Tax Policies
 - vii. Program No. 7: Reinvestment Allowance
 - viii. Program No. 8: Accelerated Capital Allowance
 - ix. Program No. 9: Group Relief
 - x. Program No. 10: Tariff Related Incentives
 - xi. Program No. 11: Allowance Industrial Building/ Industrial Building Allowance (IBA)
 - xii. Program No. 12: Allowance for plants and Machinery
 - xiii. Program No. 13: Double deduction for promotion of Exports
 - xiv. Program No. 14: Incentives for manufacturing and manufacturing related services in East Coast Economic Corridor
 - xv. Program No. 15: Drawback on Import duty, Sales tax and Excise duty
 - xvi. Program No. 16: Exemption from Import Duty and Sales Tax for Outsourcing Manufacturing Activities
 - xvii. Program No. 17: Exemption from Import Duty and Sales Tax on Machinery and Equipment
 - xviii. Program No. 18: Exemption from Import Duty on Raw Materials/ Components
 - xix. Program No. 19: Double Deduction for Promotion of Export Cargo
 - xx. Program No. 20: Allowance for Increased Export
 - xxi. Program No. 21: Tax Exemptions for Exporters in Free Trade Zones
 - xxii. Program No. 22: Less than Adequate Remuneration for Land & Electricity
 - xxiii. Program No. 23: Double Deduction for Promotion of Malaysian Brand
 - xxiv. Program No. 24: Incentives for Small and Medium Enterprise

- xxv. Program No. 25: Research and Development Fund
- xxvi. Program No. 25(a): Commercialization of Research and Development Fund (CRDF-1)
- xxvii. Program No. 25(b): Commercialization of Research and Development Fund (CRDF-2)
- xxviii. Program No. 25(c): Commercialization of Research and Development Fund (CRDF-3)
- xxix. Program No. 26: Tax incentives for in-house R&D
- xxx. Program No. 27: Double Deduction for R&D
- xxxi. Program No. 28: Soft loans for Small and Medium Enterprise
- xxxii. Program No. 29: Investment Tax Allowance

E. Consultation

9. A pre-initiation consultation as per the Article 13.1 of the WTO provisions was held with the Government of Malaysia through video conferencing on 29th Sept., 2020. In response to this consultation, Government of Malaysia denied existence of certain programs, non-availment of some by the programs and negligible subsidy in some schemes. However, the Government of Malaysia has not provided prima facie sufficient evidence denying existence of all the programs mentioned above. Therefore, existence of alleged programmes and quantification of countervailable subsidies are required to be investigated as per the relevant Rules.

F. Injury and Causal Link

10. Information furnished by the Applicants has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicants have furnished evidence regarding of injury having taken place as a result of alleged subsidization, resulting in price undercutting, price suppressing and depressing effect on the domestic industry, even though the volume of imports has declined. The Applicants have claimed that domestic industry performance has been adversely impacted in respect of capacity utilization, inventories, profits, cash flow, and return on capital employed. The domestic industry is suffering financial losses and cash losses. There is sufficient prima facie evidence of the material injury being caused to the domestic industry by subsidised exports from the subject country to justify initiation of a countervailing duty investigation.

G. Initiation of Countervailing Duty Investigation

11. On the basis of the duly substantiated written application by domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence, substantiating subsidisation of the subject goods originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between such alleged subsidisation and injury, and in accordance with Section 9 of the Act read with Rule 6 of the Rules, the Authority hereby initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of alleged subsidies in respect of the subject goods originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of Countervailing duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

H. Subject Country

12. The subject country for the present investigation is Malaysia.

I. Period of Investigation (POI)

13. The period of investigation (POI) in the present investigation is April 2019 to September 2020 (18 months). The injury period of investigation will, however, cover the periods 2016-17, 2017-18, 2018-19 and the POI.

J. Procedure

14. Principles as given in Rule 7 of the Rules shall be followed for the present investigation.

K. Submission of Information

15. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg11-dgtr@gov.in and dd15-dgtr@gov.in.
16. The known producers/exporters in the subject country, Government of the subject country through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
17. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.
18. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

L. Time Limit

19. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the

email addresses adg11-dgtr@gov.in and dd15-dgtr@gov.in within 30 days from the date of receipt of the notice as per Rule 7(4) of the Rules. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

20. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

M. Submission of information on confidential basis

21. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:
- i. one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
 - ii. the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).
22. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies in four (4) sets of each.
23. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
24. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
25. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
26. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
27. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

N. Inspection of Public File

28. In terms of Rule 7(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

O. Non-cooperation

29. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

B. B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority